छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
केपिटल कॉम्प्लेक्स, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर दिनांक 17 फरवरी, 2016

क्रमांक/पंग्राविवि/14वें वित्त/GPDP-MDG/111/2016/643 भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के पत्र D.O.No.N-11011/2/2015-PRI, दिनांक 30 नवंबर, 2015 में भारत सरकार द्वारा राज्यो की पंचायतराज संस्थाओं हेतु रोडमैप तैयार करने एवं ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान अंतर्गत "छत्तीसगढ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप" गठित किये जाने बाबत् निर्देश दिये गये है। इसके अनुपालन में राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान अंतर्गत "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप" का अधोलिखित अनुसार गठन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप :-

1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय	सदस्य
3.	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	सदस्य
4.	संयुक्त संचालक, पंचायत संचालनालय	सदस्य सचिव
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर	सदस्य
6.	राज्य वित्त आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	उपसंचालक, वित्त, पंचायत संचालनालय	सदस्य
9.	श्री मनीष श्रीवास्तव, समर्थन संस्था	सदस्य
10.	श्री सरोज महापात्रा, प्रदान संस्था	सदस्य
11.	श्री निर्मलेन्दु ज्योतिषी, यू.एन.डी.पी/राज्य योजना आयोग	सदस्य
12.	सुश्री एलिस लकड़ा, राज्य समन्वयक, एम.डी.जी हब, संचालनालय पंचायत, छत्तीसगढ	सदस्य
13.	डॉ. अशोक जायसवाल, संकाय सदस्य, ठा.प्या.पं.ग्रा.वि.वि	सदस्य

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष आमंत्रित सदस्य होगें :-

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, गरियाबन्द
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत, धमतरी
3.	श्री लच्छूराम कश्यप, भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत, बस्तर

रोडमैप तैयार करने एवं ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान अंतर्गत "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग के अतिरिक्त यह एक्सपर्ट ग्रुप निम्न बातों पर ध्यान देगी :-

- ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्त्रोत में वृद्धि।
- ग्राम पंचायतों के मानव संसाधन सहायता में वृद्धि।
- ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों एवं पदाधिकारियों के प्रत्यायोजन।
- राज्य निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण।
- राज्य वित्त आयोग का सशक्तिकरण।

- भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों में की जा रही कटौतियों के संदर्भ में जनपद एवं जिला पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु व्यवस्था।
- उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्तियों/पंचायतों हेतु पुरस्कार।
- सामाजिक अंकेक्षण, डिस्क्लोजर इत्यादि के माध्यम से पंचायतों की जवाबदेही में सुधार लाना।
- लेखा एवं वित्तीय व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- अंकेक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाना।
- जिला योजना समिति को सशक्त करना एवं जिला नियोजन हेतु प्रकिया का विकास करना।
- पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों में सशोधन (इसके अंतर्गत पेसा अधिनियम का प्रभावशाली कियान्वयन सम्मिलित होगा)।
- प्रदेश में पंचायत विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी) / सास्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी. आधारित.) की प्राप्ति हेतु नियोजन, कियान्वयन एवं निगरानी सुधारने हेतु व्यवस्था विकसित करना।

"छत्तीसगढ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्स्पर्ट ग्रुप" (Chhattisgarh Panchayat and Planning Expert Group) हेतु सेवा की शर्तें (Terms of Reference) :–

- उक्त एक्सपर्ट ग्रुप हेतु सेवा की शर्तो निम्नानुसार है –

क. उद्देश्य :–

(i) पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि, लेखा एवं वित्तीय व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, अंकेक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने, सामाजिक अंकेक्षण, डिस्क्लोजर इत्यादि के माध्यम से पंचायतों की जवाबदेही में सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन देना ।

(ii) पंचायतों को अधिकारों (फंड, फंक्शन, एवं फंक्शनरीज़) के प्रत्यायोजन/ सुपुदर्गी हेतु शासन के विभिन्न विभागों एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर "डिवौल्यूशन" की स्थिति में सुधार लाना ।

(iii) राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के सशक्तिकरण हेतु मार्गदर्शन देते हुए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करते हुए समन्वय करना ।

(iv) भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों में की जा रही कटौतियों के संदर्भ में जनपद एवं जिला पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु व्यवस्था

(v) उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्तियों/पंचायतों हेतु पुरस्कार

(vi) प्रदेश में पंचायत विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी) / सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी. आधारित.) की प्राप्ति हेतु नियोजन, कियान्वयन एवं निगरानी सुधारने हेतु व्यवस्था /प्रकिया विकसित करना ।

(vii) पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों में संशोधन (इसके अंतर्गत पेसा अधिनियम का प्रभावशाली कियान्वयन सम्मिलित होगा)

ख. "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्स्पर्ट ग्रुप" (Chhattisgarh Panchayat and Planning Expert Group) की बैठकें –

उक्त एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक वर्ष में अधिकतम तीन बार अथवा आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी ।

घ. "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं प्लानिंग एक्सपर्ट ग्रुप" (Chhattisgarh Panchayat and Planning Expert Group) द्वारा दी गई अनुशंसाओं/मार्गदर्शन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) :–

पंचायतो के सुदृढ़िकरण हेतु गठित इस एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा दिये गये मार्गदर्शन /सुझावों के संकलन को प्रतिवेदन के रूप में प्रतिवर्ष माह मार्च में अपर मुख्य सचिव को सौंपी जायेगी । इसके अतिरिक्त सदस्यों को मानदेय/भुगतान इत्यादि देय नही होगा । इसके उपरान्त एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा दिये गये अनुशंसाओं/मार्गदर्शन पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में माह अप्रैल से मई के मध्य में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) मुख्य सचिव को सौंपी जायेगी ।

(एम.के. राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ क्र./पंग्राविवि/14वें वित्त/GPDP-MDG/111/2016/644 नया रायपुर, दिनांक 17.02.16

प्रतिलिपि :–

1- स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2- समस्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4- समस्त उपसंचालक (पं.) जिला पंचायत छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग